GRPI-211-6L-11-94													-190/CR.J.(e)
	SUMMERRY	TRIAL	UNDER	SECTION	263	OR	264	OF	THE	CRIMINAL	PROCEDURE	CODE,	1898
in the cou	rt of		Class										

Case No.....146/2017 Complaint or report made on..... Name and address of the Complainant......शा0पू०गोहद चौराहा बनाम प्रमोद

Name, parentage, caste and address of accused

1. प्रमोद तौमर पुत्र ओमप्रकाश तौमर उम्र 28 वर्ष निवासी जस्तपुरा थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड

The offence complaint of its alleged commission.

आपने दिनांक 22.07.17 को समय 15:40 बजे से 15:50 बजे के मध्य स्थान आरोपी के घर के बगल में गोंड़ा ग्राम जस्तपुरा गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के 21 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा को अपने आधिपत्य में रखा जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।

The Offence proved, if any and in case cluse(d), clause(f)clause(g) or subsection(i) of section 260 the value of the property in respect of which of which the offence has been committed.

(निर्णय)

(आज दिनांक 17.08.2017 को घोषित)

- 1. आरोपी / गण के विरुद्ध म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अपराध के आरोप हैं।
- 2. आरोपी / गण ने उक्त आरोप स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया / किए हैं।
- 3. आरोपी / गण की स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आधार पर आरोपी / गण को धारा म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अपराध में सिद्धदोष ठहराया जाता है एवं आरोपी / आरोपीगण को उक्त अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1200 / —रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने की दशा में आरोपी / आरोपीगण को पांच दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।
- 4. प्रकरण में जब्तशुदा 21 क्वार्टर देशी प्लेन मचिदरा विधिवत निराकरण हेतु जिला आबकारी अधिकारी भिण्ड की ओर भेजी जावे।

स्थान— गोहद दिनांक— 17.08.2017

> निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड